प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर   दिनांकः- 07.03.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 411/413/414 भादवि व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 4,500/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 01.08.2018 को थाना नगीना देहात पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1.अर्जुन पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम जटपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 2.मुकेश पुत्र रामलाल निवासी ग्राम कोटरा थाना नगीना जनपद बिजनौर को चोरी की कुल 09 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तारी के संबंध मे थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 103/18 धारा 411/413/414 भादवि बनाम अर्जुन, मुकेश उपरोक्त व एक फरार अभियुक्त करन तथा मु0अ0सं0 105/18 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम मुकेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 07.03.2025 को मा0 न्यायालय ADJ नगीना, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 103/18 धारा 411/413/414 भादवि व मु0अ0सं0 105/18 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त मुकेश पुत्र रामलाल निवासी ग्राम कोटरा थाना नगीना जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के कारावास व कुल 4,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- मुकेश पुत्र रामलाल निवासी ग्राम कोटरा थाना नगीना जनपद बिजनौर।

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा फायर टेंडरों के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में त्रिवेणी संगम, प्रयागराज का पवित्र जल भेजा जा रहा है। ऐसे श्रद्धालु जो महाकुम्भ प्रयागराज किसी कारण से नही पहुँच पायें थे, उन तक त्रिवेणी संगम का पवित्र जल पहुँच सके। संगम का पवित्र जल अधिकाधिक श्रद्धालुओं को लाभान्वित करने हेतु कल दिनांकः 08.03.2025 को समय प्रातः 10:00 बजे नुमाईश ग्राउण्ड, बिजनौर पर जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में फायर टेण्डर के माध्यम से वितरित किया जायेगा। जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु जल ले सकें।

Scanned with OKEN Scanner

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मण्डावली **दिनांक- 07.03.2025**

थाना मण्डावली पुलिस ने मु0अ0सं0 13/25 धारा 64(1)/75/351(2) बीएनएस व धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.03.2025 को वादिया ने थाना मंडावली पर तहरीर दी कि वादिया के मोबाइल पर तीन माह पूर्व एक व्यक्ति का फोन आया जिसने अपना नाम सोहित शर्मा निवासी जनपद सहारनपुर बताया व वादिया का मोबाइल नम्बर उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) से लेना बताया। सोहित उपरोक्त ने वादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया तथा कुछ दिन पहले वादिया को कस्बा मंडावली के पास बुलाकर कोर्ट मैरिज करने को कहा, वादिया ने उक्त व्यक्ति का आधार कार्ड देखा तो आधार कार्ड में सोहित शर्मा नामक व्यक्ति का असली नाम हम्माद पुत्र बिलाल निवासी बंजारान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर मिला । वादिया ने शादी करने से मना किया तो अभियुक्त द्वारा वादिया पर शादी के लिए दवाब बनाया गया व धमकी दी गई। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अभियुक्त सोहित उर्फ हम्माद का सहयोग किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर 13/25 धारा 64(1)/75/351(2) बीएनएस व धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना मण्डावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सोहित शर्मा उर्फ हम्माद पुत्र बिलाल अहमद निवासी बंजारान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हम्माद पुत्र बिलाल निवासी बंजारान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 संजय कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 राहुल कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

3.मुख्य आरक्षी दीपक थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 07.03.2025**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 11.02.2023 को वादी श्री शेर सिंह पुत्र स्व0 रामनाथ सिंह निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि वादी ने अपनी बहन की शादी ओमपाल सैनी पुत्र लल्लू सिंह निवासी मौ0 नई बस्ती, राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के साथ की थी। वादी का बहनोई शराब का सेवन कर वादी की बहन के साथ लडाई झगडा करता है। दिनांक 11.02.2023 को वादी को ज्ञात हुआ कि उसकी बहन की संदिग्ध परिस्थितियो में मृत्यु हो गयी है। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 306 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 306 भादवि का लोप कर धारा 302 भादवि की बढोत्तरी की गई। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 07.03.2025 को मा0 न्यायालय ADJ-04, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 54/23 धारा 302 भादवि के अभियुक्त ओमपाल सैनी पुत्र लल्लू सिंह निवासी मौ0 नई बस्ती, सराय का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- ओमपाल सैनी पुत्र लल्लू सिंह निवासी मौ0 नई बस्ती, राजा का ताजपुर नूरपुर बिजनौर